## न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म०प्र०

<u>दांडिक प्रकरण क.-267/14</u> संस्थित दिनांक- 13.05.14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

#### विरुद्ध

- 1. ईन्दल उर्फ इन्दर पुत्र मौजीराम अहिरवार उम्र 28 साल
- 2. मौजीलाल पुत्र मुज्जी अहिरवार उम्र 62 साल
- 3. ज्ञानसिंह पुत्र उदईया अहिरवार उम्र 42 साल निवासीगण मातामढ मोहल्ला तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

#### -: <u>निर्णय</u> :--

# (आज दिनांक 17.04.17को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 341, 324/34, 323/34, 325/34, 506 बी के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 28.03.2014 को समय सुबह 09:00 स्थित मातामढ मोहल्ला में लोक स्थान पर फरियादी कोमल को मां बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी कोमल का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया तथा साथ ही फरियादी कोमल सहित ममता, रवि माया बाई व तुलसा बाई को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में किसी धारदार हथियार कुल्हाडी से कोमल को व लाठी से रिव, माया बाई व तुलसा बाई को स्वेच्छया उपहित कारित की एवं लाठी से ममता को स्वेच्छया गंभीर उपहित कारित की एवं फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारिया किया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 27.03.14 को करीबन 06:00 बजे फरियादी की लडकी आरती को राजन ने मार दिया था। फरियादी उक्त समय पर घर नहीं था। जब फरियादी घर आया तो उसने राजन से पूछने पर अभियुक्त ने मां बहनं की बुरी बुरी गालियां दी। जब फरियादी ने गाली देने से मना करने पर अभियुक्त इंदल ने कुल्हाडी

मारी जो सिर में लगने से खून निकल आया। जब फरियादी को बचाने के उसकी मां तुलसी बाई पत्नी ममता बाई व पुत्री माया पुत्र रिव आया तो अभियुक्त मोजीलाल व राजन लाठी व ज्ञानिसह ने लोहे की छड़ से मारपीट कर दी। मोजीलाल के लाठी मारने से फरियादी के सिर में खून निकल आया। फरियादी के वापस अपने घर जाने पर अभियुक्तगण ने रास्ता रोककर कहा कि रिपोर्ट करने गये तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी कोमल द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गयी। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक—136/14 अंतर्गत धारा—323, 324, 341, 294, 506, 34 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। चिकित्सीय परीक्षण में ममता को घटना में अस्थि भंग पाये जाने पर धारा 325 भादिव का इजाफा कर बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतू न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक—22.03.17 का फरियादी कोमल, मायाबाई, तुलसी बाई व रिव द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) दप्रस के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्तगण का भादिव की धारा 294, 323/34 चार शीर्ष, 325/34, 341, 506 बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। भा0द0वि0 की धारा 324/34 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण पर विचारण किया गया।
- 04— अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध का आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है।
- 05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
  - 1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 28.03.14 की सुबह 09:00 बजे मातामढ मेाहल्ला चंदेरी में फरियादी कोमल को उपहित कारित करने के सामान्य निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में काटने के हथियार कुल्हाडी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की ?
  - 2. दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

### -:: सकारण निष्कर्ष ::-

06— अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये फरियादी कोमल (अ0सा0—1) सहित अभियोजन कहानी के अनुसार घटना में आहत ममता बाई (अ0सा0—2), रवि (अ0सा0—3), माया बाई (अ0सा0—4) व तुलसा बाई (3)

(अ०सा0—5) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं। कोमल (अ०सा0—1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि घटना गर्मियों होकर वर्ष 2014 की है। घटना से पहले उसकी लड़की आरती व राजन का आपस में विवाद हो गया था और इसी बात पर से अभियुक्तगण ने उसके उसकी पत्नी व लड़के रिव के साथ गाली—गलौच की थी। इस साक्षी का कहना है कि घटना में केवल मुंहवाद हुआ था। जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाना चंदेरी में की थी। फरियादी कोमल (अ०सा0—1) ने रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पर अपने हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किये हैं।

- 07— फरियादी कोमल (अ०सा०—1) के द्वारा मुख्यपरीक्षण में आरती व राजन के विवाद पर से आरोपीगण द्वारा मात्र उसके व उसकी पत्नी एवं लड़के रवि के साथ मुंहवाद किये जाने की घटना बताता है। जबिक प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार फरियादी सिहत उसकी पत्नी ममता बाई (अ०सा०—2), रिव (अ०सा०—3) माया बाई (अ०सा०—4) व तुलसा बाई (अ०सा०—5) के साथ अभियुक्तगण द्वारा मारपीट कर उन्हें उपहित कारित की गई थी, जिसमें फरियादी के सिर में अभियुक्त इंदल के द्वारा कुल्हाड़ी से व मौजीलाल के द्वारा लाठी से प्रहार कर उपहित कारित की गई थी। अभियोजन कहानी के अनुसार फरियादी कोमल (अ०सा०—1) स्वयं घटना में आहत है, परन्तु यह साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में मात्र घटना में अपने साथ अभियुक्तगण का मात्र मुंहवाद होना बताता है तथा यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में मारपीट की घटना से ही इन्कार करता है तथा घटना में स्वयं को कोई चोट न आना बताता है।
- 08— अतः कोमल (अ०सा0—1) के द्वारा न्यायालीन कथनों में बताई गई घटना एवं प्रकरण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में उल्लेखित घटना में बहुत अंतर है, जिससे फरियादी कोमल (अ०सा0—1) के द्वारा न्यायालय में बताई गई घटना की पुष्टि प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट से नही होती है। घटना में आहत ममता बाई (अ०सा0—2), रिव (अ०सा0—3) माया बाई (अ०सा0—4) व तुलसा बाई (अ०सा0—5) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में घटना में आहत होते हुये भी अभियोजन का इस बात पर लेषमात्र भी समर्थन नही किया कि इंदल ने घटना में धारदार हथियार कुल्हाडी से फरियादी कोमल के सिर में प्रहार कर उपहित कारित की थी तथा मोजीलाल ने लाठी से मारपीट कर उपहित कारित की।
- 09— माया बाई (अ०सा0—4) व तुलसी बाई (अ०सा0—5) अपने न्यायालीन कथनों में अपने सामने कोई घटना ही घटित न होना बताती है तथा अपने साथ अभियुक्तगण का विवाद न होने के संबंध में इन साक्षियों ने न्यायालय में कथन दिये हैं। माया बाई (अ०सा0—4) का जहां अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि घटना के समय वह घर पर थी। आरोपीगण से उसका कोई विवाद नहीं हुया। वहीं तुलसी बाई (अ०सा0—5) अपने न्यायालीन कथनों में घटना की जानकारी होने से ही इन्कार करती हैं, जबिक ये दोनों ही साक्षी अभियोजन कहानी के अनुसार घटना में आहत है।

- 10— फरियादी की पत्नी ममता बाई (अ०सा0—2) व लडका रिव (अ०सा0—3) भी अभियोजन कहानी के अनुसार घटना में आहत है, यह दोनों साक्षी भी फरियादी के कथनों के सामान आरोपीगण से घटना के समय कोमल का विवाद होना तो अपने न्यायालीन कथनों में स्वीकार करते हैं, परन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने भी घटना में केवल कोमल (अ०सा0—1) के साथ आरोपीगण का मुंहवाद होना बताया है तथा स्वयं के साथ भी आरोपीगण द्वारा मात्र गाली गलौच किये जाने की घटना बताई है। अतः फरियादी कोमल (अ०सा0—1), ममता (अ०सा0—2), व रिव (अ०सा0—3), अपने न्यायालीन कथनों में घटना में आरोपीगण से विवाद होना तो स्वीकार करते है, परन्तु उक्त विवाद में अभियुक्त इंदल ने धारदार हथियार कुल्हाडी से कोमल को कोई उपहित कारित की इस संबंध में स्वयं फरियादी सिहत किसी भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई कथन ने देते हुये केवल मुंहवाद की घटना होना लेख कराया है।
- 11— कोमल (अ०सा0—1) सिहत अभियोजन कहानी के अनुसार घटना में आहत ममता बाई (अ०सा0—2), रवि (अ०सा0—3), माया बाई (अ०सा0—4) व तुलसा बाई (अ०सा0—5) के द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन न करने एवं अभियोजन घटना के विरुद्ध न्यायालय में कथन देने से अभियोजन के द्वारा इन सभी साक्षियों का पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है, परन्तु उक्त परीक्षण में फरियादी कोमल (अ०सा0—1) सिहत किसी भी साक्षी ने आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नही दिये तथा सभी साक्षी एक राय होकर अभियुक्तगण द्वारा मात्र मुंहवाद किया जाना बताते है। कोमल (अ०सा0—1), ममता बाई (अ०सा0—2), रवि (अ०सा0—3) माया बाई (अ०सा0—4) व तुलसा बाई (अ०सा0—5) स्वयं भी अपने अपने कथनों में अपने साथ हुई मारपीट की घटना से भी इन्कार करते हैं तथा घटना में आरोपीगण द्वारा उन्हें कोई उपहित कारित की गई इस संबंध में इन साक्षियों ने अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया।
- 12— ममता बाई (अ0सा0—2) जिसको अभियोजन कहानी के अनुसार घटना में गंभीर उपहित कारित हुइ है, अपने प्रतिपरीक्षण में अभियोजन के विरूद्ध यह कहती है कि घटना में उसे कोई चोटें नहीं आई थीं तथा उसे सीढियों से गिरने से उसे चोटे आई थीं। वहीं रवि (अ0सा0—3) भी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वयं को कोई चोट न आना बताती हैं। फरियादी कोमल (अ0सा0—1) अपने परीक्षण में अभियोजन द्वारा किये गये परीक्षण में मारपीट की कोई रिपोर्ट ही पुलिस न किया जाना बताता है तथा इस संबंध में पुलिस को प्रदर्श पी 2 के कथन देने से भी इन्कार करता है। अतः ऐसे में फरियादी सहित किसी भी साक्षी ने अभियोजन घटना को प्रमाणित करने के लिये अभियोजन का अपने न्यायालीन कथनों में समर्थन नहीं किया है। फरियादी सहित सभी साक्षी मारपीट की घटना से इन्कार करते हे तथा घटना में उन्हें कोई उपहित कारित हुइ इस बात से भी इन्कार करते है। फरियादी सहित किसी भी साक्षी ने इस संबंध में अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये कि घटना में इंदल ने धारदार हथियार कुल्हाडी से फरियादी कोमल (अ0सा0—1) को सिर में उपहित कारित की थी। अभियोजन की ओर से इस संबंध में परीक्षण के दौरान

(5)

उपरोक्त घटना के संबंध में सुझाव दिये जाने पर किसी भी साक्षी ने अभियोजन के सुझाव पर सहमति नहीं दी तथा इसके विपरीत साक्षियों ने इस बात का स्पष्ट खण्डन किया कि घटना में इदल ने कुल्हाड़ी से एवं मोजीलाल ने लाठी से फरियादी के सिर पर उपहित कारित की। अतः ऐसे में घटना में फरियादी सिहत किसी भी व्यक्ति के साथ अभियुक्तगण ने मारपीट कर उन्हें उपहित कारित की, इस आशय की कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। जो कि सम्भवतः प्रकरण में हुये राजीनामें का परिणाम दर्शित करती है।

- 13— फलस्वरूप साक्ष्य के अभाव में एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 28.03.14 का सुबह 09:00 बजे मातामढ माहल्ला चंदेरी में फिरयादी कोमल को उपहित कारित करने के सामान्य निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में काटने के हिथयार कुल्हाडी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 14— फलतः अभियुक्तगण ईन्दल उर्फ इन्दर पुत्र मौजीराम अहिरवार, मौजीलाल पुत्र मुज्जी अहिरवार, ज्ञानसिंह पुत्र उदईया अहिरवार के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा— 324/34 के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण ईन्दल उर्फ इन्दर पुत्र मौजीराम अहिरवार, मौजीलाल पुत्र मुज्जी अहिरवार, ज्ञानसिंह पुत्र उदईया अहिरवार को भा०दं०वि० की धारा— 324/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 15— <u>अभियुक्तगण ईन्दल उर्फ इन्दर पुत्र मौजीराम अहिरवार, मौजीलाल पुत्र मुज्जी अहिरवार, ज्ञानसिंह पुत्र उदईया अहिरवार</u> के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। अभियुक्तगण का धारा—428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मूल्य हीन होने से अपील अवधि के पश्चात नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीली न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)